आवश्यक/महत्वपूर्ण/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याःडीजी-चार-110(22)/2014 दिनांकःलखनऊःअगस्त 09 ,2016

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप सभी अवगत है कि वर्तमान में यातायात पुलिस कर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदि के सम्बन्ध में इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागीय आदेश जारी किए गये है। उक्त आदेशों में एकरूपता नही होने के कारण समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं योजित की जाती रही हैं एवं विभाग में संशय की स्थिति बनी रहती है। अतः उन सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यातायात कर्मियों के सम्बन्ध में समांक पत्र दिनांक 14-12-2015 को यातायात पुलिस कर्मियों के अर्हता, चयन की प्रकिया के साथ-साथ उनके लिए सामान्य निर्देश जारी किये गये हैं।

2- उक्त जारी दिशा निर्देश के क्रम में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी यातायात पुलिस कर्मी को समयावधि पूर्ण होने या प्रशासनिक कारणों से उसके लियन में स्थानान्तरित कर दिये जाने के फलस्वरूप उन्हें **पुनः यातायात पुलिस में उसी पद पर नियुक्त किये जाने हेतु नामित नही किया जायेगा।** कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

9.8

(जावीद अहमद)

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश।